न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 238 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या 84 / 2026

रौशन कुमार उर्फ करी लाल, पिता–सिया सिंह उर्फ स्व0 सियाशरण सिंह, उम्र करीब 41 वर्ष, साकिन–सुल्तानपुर, वार्ड नं0 3, थाना–मोकामा, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री विजय कुमार
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान
सूचिका के विद्वान अधिवक्ता :– श्री नितीश कुमार

आदेश

18.03.2026

आवेदक अभियुक्त रौशन कुमार उर्फ करी लाल की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भा.ना.सु.संहिता के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद मोकामा थाना कांड संख्या 84 / 2026, अंतर्गत धारा 140(2), 331(4), 109(1), 351(3), 303(2), 308(4), 76 भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध एक आपराधिक मामले लंबित है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तथा इन्हें इस वाद में झूठा फँसाया गया है। अभियोजन के द्वारा जिस प्रकार की घटना प्राथमिकी में कही गयी है, उस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। यह सम्पूर्ण अभियोजन कथानक दुर्भावनापूर्ण रुप से दबाव बनाने के लिए गढ़ा गया है। वास्तव में सूचिका के पति लक्ष्मण त्रिवेदी उर्फ कल्लू जी और सोनु त्रिवेदी ने सोनु त्रिवेदी की पत्नी के ईलाज के लिए चार लाख रुपये का मांग किये थे और छह माह के अंदर पैसा लौटाने का आश्वासन दिये थे। सौहार्दपूर्ण सम्बंधों के कारण आवेदक ने सोनु त्रिवेदी को तीन लाख पचास हजार रुपये दिनांक 01.06.22 को सोनु त्रिवेदी के अनुरोध पर दिये थे और पचास हजार रुपये पे फोन के माध्यम से दिये थे। छह महीना बीत जाने के बाद जब सोनु त्रिवेदी से रुपये का मांग किया तो जबाब मिला कि यह धनराशि कल्लु तिवारी से मांग सकते हैं। इस प्रकार कल्लु तिवारी एवं सोनु तिवारी ने गलत इरादे से उक्त धनराशि को वापस नहीं किये। कल्लु तिवारी से जब पैसे का मांग किया तो उनकी पत्नी ने सोने का चेन छीन लिया। कल्लु तिवारी पिस्तौल दिखाकर अलमारी की चाबी छीन लिये और उसमें से सोने के गहने एवं 50 हजार रुपया चुरा लिये। धमकी दिये जाने के कारण मामला दर्ज करने में देरी हुई है। धन हड़पने और दबाव बनाने के उद्देश्य से यह मामला दर्ज कराया गया है। धारा 140(2), 331(4), 109(1), 76 बी.एन.एस. मामले में लागू नहीं होता है और धारा 303(2) बी.एन.एस. का आरोप मामले को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है। आवेदकगण सम्मानित व्यक्ति है। आवेदक अभियुक्त की ओर से भी मोकामा थाना कांड सं 88 / 2026 का फोटो प्रति आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त के फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा वह सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता जमानत का विरोध करते हैं तथा कहते हैं कि सूचिका से रंगदारी का मांग किया गया और नहीं देने पर घर में डकैती किया गया तथा जान मारने के आशय से गोली भी फायरिंग किये, इसलिए इनका जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद कि सूचिका अंजनी देवी हैं। सूचिका का कथन है कि रौशन कुमार उर्फ करी लाल लगभग दो माह से इनके पति से दो लाख रुपये की रंगदारी मांग रहा है और लगातार धमकी दे रहा है कि यदि गांव में रहना है तो दो लाख रुपया दो अन्यथा गांव छोड़ दो। कुछ दिन पूर्व रौशन कुमार उर्फ करी लाल इनके बेटे को पिस्तौल के बल पर खेत में जबरन

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 238 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या 84 / 2026

लगातार
18.03.2026

बंधक बना लिया और कहा कि रंगदारी का पैसा लेकर आओ। भय और दबाव में आकर सूचिका के पति ने 30,000 रुपया देकर अपने बेटे को छुड़ाया। दिनांक 16.02.2026 को पुनः भद्दी–भद्दी गाली दिया और दो लाख रुपया की रंगदारी का मांग किया और जान से मारने की धमकी दिया। दिनांक 18.02.26 को रौशन कुमार अवैध हथियार लेकर इनके घर में जबरन घुस गया और डकैती की घटना को अंजाम दिया। सूचिका के अंगुली से सोने की अंगूठी तथा बेटे के गले से लॉकेट छीन लिया। इनके साथ छेड़ खानी किया। जब पति ने विरोध किया तो रौशन कुमार जान मारने की नियत से उन पर गोली चला दिया जो उनके बगल से निकल गया और बाल–बाल बच गये। जात–जाते रौशन कुमार ने 9 राउण्ड फायरिंग किया और धमकी दिया कि फिर आयेंगे और जान से मार देंगे। यह घटना अत्यंत ही गंभीर है और घटना के सम्बंध में 4 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर बयान देने को तैयार हैं। अतः उक्त घटना को बी.एन.एस. की संगत धाराओं में रंगदारी, अपरहण, डकैती, घर में घुसकर अपराध एवं छेड़खानी, फायरिंग कर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट एवं जान से मारने की धमकी के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया जाय और मेरे परिवार की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न केस डायरी का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि यह वाद में धारा 140(2), 331(4), 109(1), 76, 303(2) बी.एन.एस.को छोड़ शेष सभी धारा जमानतीय प्रकृति के है। कांड दैनिकी के कंडिका–6 में साक्षी मुकुंद कुमार, कंडिका–7 में साक्षी मनीष शर्मा एवं कंडिका–8 में साक्षी दीपक कुमार का बयान अंकित किया गया है। साक्षी मुकुंद कुमार के द्वारा कहा गया है कि खेत पटाने के समय मसूर का खेत पट जाने के कारण गाली–गलौज एवं मारपीट हुआ है। साक्षी मनीष शर्मा ने कहा कि गोली फायरिंग नहीं हुई है और न ही डराने धमकाने जैसी कोई घटना हुई है। साक्षी दीपक कुमार ने भी फायरिंग नहीं होने की बात बताया है। उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त कांड दैनिकी में कोई भी उल्लेखनीय तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। घटनास्थल से न तो कोई आर्म्स जब्त किया गया है और न ही कोई गोली जब्त किया गया है और न ही किसी प्रकार को कोई जख्म पत्र प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी की ओर से मोकामा थाना कांड संख्या 88 / 26 की प्रति दाखिल किया गया है, जो इस वाद का पलटा वाद है। सम्पूर्ण कांड दैनिकी में कहीं से भी आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप परिलक्षित होता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इस वाद में धारा 140(2), 331(4), 109(1), 76, 303(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप कहीं से भी आकर्षित होता हुआ प्रतीत नहीं होता है, जो भी आरोप है वह सामान्य एवं ओमनीवस है। इस वाद का अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत आवेदक अभियुक्त रौशन कुमार उर्फ कारी लाल को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना मैं उचित समझता हूँ। इनका अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। फलतः आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्समर्पण करने या गिरफ्तार होने की दशा में मो0 10,000 रूपये के शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के उपरांत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है

(लेखापित / शुद्धित)

(राजकुमार चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ़